रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 4, 2016/माघ 15, 1937
No. 318] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 4, 2016/ MAGHA 15 , 1937

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2016

का.आ. 366(अ).—कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, भाग ।।, खंड 3, उप–खंड (ii), तारीख 9 नवम्बर, 2015 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 3026(अ), तारीख 9 नवम्बर, 2015 के प्रकाशन पर, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त भूमि कहा गया है) और भूमि में या उस पर के सभी अधिकार, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, आत्यांतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए थे;

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, डाकघर संख्या 60, जिला– बिलासपुर–495006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सरकारी कम्पनी कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शर्तों का, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिये रजामंद है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इस प्रकार निहित उक्त भूमि और उक्त भूमि में या उस पर के अधिकार, तारीख 9 नवम्बर, 2015 से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने की बजाए, निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त सरकारी कम्पनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात् :–

1. सरकारी कम्पनी, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, ब्याज, नुकसानियों और वैसी ही मदों की बाबत् किए गए सभी संदायों की केन्द्रीय सरकार को प्रतिपूर्ति करेगी ।

2. सरकारी कम्पनी द्वारा शर्त (1) के अधीन, केन्द्रीय सरकार को संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिये उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक अधिकरण का गठन किया जाएगा तथा ऐसे किसी अधिकरण और ऐसे अधिकरण की सहायता करने के लिये नियुक्त व्यक्तियों के संबंधों में उपगत सभी व्यय, सरकारी कम्पनी द्वारा वहन किये जायेंगे और इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के लिये या उसके संबंध में सभी विधिक कार्यवाहियों जिसके अंतर्गत अपील भी है, की बाबत उपगत, सभी व्यय भी, उक्त सरकारी कम्पनी द्वारा वहन किये जायेंगे ।

3. सरकारी कम्पनी, केन्द्रीय सरकार या उसके पदाधारियों की, ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगी, जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरूद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो ।

4. सरकारी कम्पनी को, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उक्त भूमि और उसके अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी ।

5. सरकारी कम्पनी, ऐसे निदेशों और शर्तों का, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिये दिए जाएं या अधिरोपित की जाए, पालन करेगी।

[फा. सं. 43015/27/2010–पीआरआईडब्ल्यू–I]

आर. पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2016

S.O. 366(E).—Whereas on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S.O. 3026(E), dated the 9th November, 2015 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 9th November, 2015 issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the land and all the rights in or over the land described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said Act;

And whereas the Central Government is satisfied that the South Eastern Coalfields Limited, Seepat Road, Post Box number 60, District-Bilaspur-495006 (hereinafter referred to as the Government Company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central Government hereby directs that the said lands and rights in or over the said lands so vested shall with effect from the 9th November, 2015 instead of continuing to so vest in the Central Government, shall vest in the Government Company subject to the following terms and conditions, namely:-

1. The Government Company shall reimburse to the Central Government all payments made in respect of compensation, interest, damages and the like as determined under the provisions of the said Act.

2. A Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act for the purpose of determining the amounts payable to the Central Government by the Government Company under condition (1) and all expenditure incurred in connection with any such Tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the Government Company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings, including appeals, for or in connection with the rights in or over the said lands, so vested, shall also be borne by the Government Company.

3. The Government Company shall indemnify the Central Government or its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials, regarding the rights in or over the said lands so vested.

4. The Government Company shall have no power to transfer the said lands and the rights to any other persons without the prior approval of the Central Government.

5. The Government Company shall abide by such direction and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said lands, as and when necessary.

[F. No. 43015/ 27/ 2010 – PRIW-I]

R. P. Gupta, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.